न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2020/00094 दायर दिनांक 29.10.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

–सायल–

बनाम

तेजपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह शेखावत, मै0 सरस्वती मावा भण्डार, इन्द्रमणी पार्क के पीछे चूरू जिला चूरू।

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (1) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित – खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 13.06.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाषित नोटिफिकेषन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेषक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेष दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेष की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2020 को 11:50 ए.एम. पर मै0 सरस्वती मावा भण्डार, इन्द्रमणी पार्क के पीछे, चूरू जिला चूरू पर पहुंचा। वहां पर तेजपाल सिंह मालीक की हैसियत से उपस्थीत पाया गया। दुकान में एक स्टील की टंकी में 15 कि.गा. **घी** बेचने हेतु पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एव परिचय पत्र दिखाया। विक्रता को पूछने पर बताया की घी को बेचने का कार्य करता हुं।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण करने पर खाघ पदार्थ **घी** में मिलावट की शंका होने पर 800 ग्राम **घी** कों साफ– सुखी प्लासस्टिक की बोंतलों में वास्तें जांच नमूना खरीद किया । जिसकी कीमत विक्रेता श्री तेजापल सिंह को 400/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री नागरमल खाघ सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री तेजपाल सिंह को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदषुदा **घी** कों प्लास्टिक की 04 बोतलों में बराबर अलग–अलग डालकर बोंतलों के ढक्कन बन्द करकें नमूनें के चार भाग बनायें। चारों भागों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–2392 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाघ पदार्थ की किस्म, दिनांक नमूना लेने का स्थान, अंकित किए लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारों नमूना के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरषुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–2392 नियमानुसार चारों नमुना पर राउण्ड दू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाघ कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें। नमूना के चारो भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जें में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं मैनें हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगषाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र क्रमांक–80 दिनांक 11.03.2020 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विष्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगषाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./319/एक्ट/2020/380 दिनांक 27.02.2020 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **घी, सबस्टेण्डर्ड** होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/229 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में तेजपाल सिंह ने **घी सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री हेमसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया व दिनांक 23.11.2021 को जवाब पेश किया। दौराने बहस गैरसायल अधिवक्ता के हाजीर नहीं होने के कारण गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **घी** का सेम्पल नं. एल–2392 रिपोर्ट संख्या एल.एस./319/एक्ट/2020/380 दिनांक 22.07.2020 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **घी** की सेम्पल नं. एल–2392 रिपोर्ट संख्या एल.एस./319/एक्ट/2020/380 दिनांक 22.07.2020 से **सबस्टैण्डर्ड** (It does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ **घी** बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल तेजपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह शेखावत, मै0 सरस्वती मावा भण्डार, इन्द्रमणी पार्क के पीछे चूरू जिला चूरू को 4,50,000/– रूपये (चार लाख पच्चास हजार रूपये मात्र), की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

परिवाद संख्या 2020/00094
खाध सुरक्षा अधिकारी बनाम तेजपाल सिंह

के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉं, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायलान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। अभिहित अधिकारी चूरू मुख्यालय रतनगढ सीज माल का निस्तारण नियमानुसार करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू